भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है। डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है।

संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। संघ, नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा प्रायोजित डेलनेट से भी सम्बद्ध है। संघ द्वारा अभी हाल में प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना भी कर दी गई है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशनल एसोसिएशन्स' एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक ब्यूरो आफ एडल्ट एजूकेशन' एवं 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः proudhshiksha@gmail.com
directoriaea@gmail.com
website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी 2013
वर्ष 57 अंक–1

सम्पादक मण्डल

संरक्षक

प्रो. भवानी शंकर गर्ग

अध्यक्ष

कैलाश चौधरी

इन्दिरा पुरोहित
ए.एच.खान
प्रफुल्ल नागर
के.आर. सुशीले गौडा
डा. विद्याविन्दु सिंह
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक

बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

चयनित महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का अध्ययन 3
–निधि तंवर

ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं एवं उनके कारकों का अध्ययन 12
– रश्मि पंत

राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री. मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण 19

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में मूल्योन्मुखता का अध्ययन 22
–शोभा वैद्य
–संतोष एस्के

शिशु शिक्षा से सम्बन्धित बालगीतों एवं लोरियों का शैक्षिक महत्व– एक शोध अध्ययन 34
– ऊषा कटियार
–एस के. सिह

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

संवाद की बारीकियां

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एकांत का आनंद वह तभी ले पाता है जब यह उसे अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त हो, अन्यथा वह लोगों को अपने इर्द–गिर्द देखना चाहता है, अपने को समाज के बीच में रखना चाहता है। समाज से उसका संबंध और सरोकार निरंतर संवाद के माध्यम से बना रहता है। इसलिए संवाद की सहजता और कुशलता, सफल और सामूहिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। पर संवाद सहज हो, हम दूसरों से जो कुछ सांझा करना चाहते हैं वह उन तक उसी रूप में पंहुच सके जिस रूप में हमारे मन में उपजा हो इसके लिए कई बार बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। भागमभाग भरे आज के जीवन में धैर्य की कमी शायद हम सभी महसूस करते हैं।

दुर्गापूजा का समय था। इलाके में आयोजित होने वाले पूजा के दौरान बच्चों के व्यैक्तिक विकास के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होना था। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने इस हेतु कुछ महत्वपूर्ण विषय सुझाये और एक आर्ट पेपर पर बड़े अक्षरों में लिखकर पूजा प्रांगण में चिपका दिया। कुछ देर बाद एक सज्जन, जो एक कालेज में प्राध्यापक हैं, ने पूछा – सबसे उपर लिखे विषय में कोई गलती थी क्या जो उसे ढक दिया है? मैंने प्राध्यापक महोदय जो वहीं बैठे थे उनसे पूछा कि अरे यह किसने किया? उन्होंने कहा कि स्वयं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिाएशन के सचिव महोदय कुछ कर रहे थे। यह सुन मुझे हैरानी हुई। सचिव महोदय पढ़े–लिखे समझदार व्यक्ति हैं वो आंखिर ऐसा क्यों करेंगे?

जब तक मैं ये बाते सोचता इसी दौरान वहां उपस्थित लोगों के बीच इस विषय पर हो रही बातचीत आवेशपूर्ण हो गई। मैने सोचा कि कुछ कहने से पहले क्यों ना मैं सीधे सचिव महोदय से पूरी जानकारी प्राप्त कर लूं। मैंने सचिव महोदय से मोबाइल पर संपर्क किया। उन्होंने बताया – 'पोस्टर पर लिखे गये विषय थोड़ी ऊचांई पर होने के कारण पढ़े नहीं जा रहे थे। मेरे जेब में एक हाइलाइटर था, मैंने सोचा क्यों ना मैं विषयों को हाइलाइट कर दूं। लेकिन जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं ठीक से हाइलाइट नहीं कर पा रहा हूं।' हुआ ऐसा कि एक इलेक्ट्रीशियन जो वहीं बैठा था उसे लगा कि पोस्टर तो बहुत भद्दा लग रहा है क्यों ना वह पहली लाइन पर काली पट्टी लगा दे जिससे शेष हिस्सा ठीक दिखे। पर हुआ उलटा। सचिव और इलेक्ट्रीशियन बेहतर करने के प्रयास में थे पर लोगों ने ठीक उलटा समझा।

संवाद में अक्सर ऐसा होता है। यदि प्राध्यापक महोदय की बात सुन हम उतेजित हो जाते, विषय को अपने सम्मान का प्रश्न बना लेते तो झगड़े के सिवाय कुछ नहीं होता। धैर्य के कारण हम उलझने से बच सके।

आज धैर्य के अभाव में कई सम्माननीय लोग भी असहज होते दिख रहे हैं। सामूहिक जीवन में इससे नकारात्मक परिवेश का निर्माण हो रहा है जो किसी के हित में नहीं है। भाषा में संयम के महत्व को भूल हम किसी का शायद ही कुछ भला कर पायें। प्रौढ़ शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए हमारे पाठकों को समाज के विविध वर्गो से संवाद स्थापित करना पड़ता है। यह छोटा सा अनुभव शायद हमारे काम आ जाए।

आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

–बी.संजय

चयनित महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का अध्ययन

– निधि तंवर

अध्यापन का व्यवसाय कोई नया व्यवसाय नहीं है। यह पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल में गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया करते थे। तभी से शिक्षक को देवतुल्य स्थान प्रदान किया गया है। उस समय अध्यापन करने वाले व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर चिन्ता का विषय नहीं था। परन्तु आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हो जाने से अध्यापन व्यवसाय की कुशलता एक सीमा तक शिक्षक के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर भी निर्भर करती है।

प्रारम्भिक वैदिक काल में भारत में समाज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए वर्ण–व्यवस्था लागू थी। इस वर्ण–व्यवस्था पर आधारित समाज में मुख्यतः चार वर्ण– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र थे और उनके इस वर्गीकरण का आधार कर्म था। जन्म पर आधारित जाति प्रथा का प्रारम्भ वैदिकोत्तर काल में माना जाता है। जाति की कठोरता और जटिलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से भारतीय समाज हजारों जातियों और उपजातियों में बॅट गया। इस जाति व्यवस्था से समाज की निम्न जातियों को तथा आदिम जातियों को अनेक कष्ट भोगने पड़े। समाज की उच्च जातियों के अत्याचारों से निम्न जातियॉ शोषित होती रहीं तथा इनका सामाजिक–आर्थिक स्तर व मूल्यों की स्थिति बदतर होती गई।

महिलाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। संपूर्ण समाज की नींव महिलाओं के विकसित व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। महिलाओं के व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा नारी की जागरूकता का द्योतक है। शिक्षित महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं कर्तव्य पालन के प्रति दृढ़ होती हैं। किसी विद्वान ने महिला शिक्षा के महत्त्व को 'एक नारी पढ़ गई और सात पीढ़ियां तर गई' उक्ति के द्वारा स्पष्ट किया है। एक महिला स्वयं शिक्षा ग्रहण कर औरों को भी शिक्षित करती है। उनके लिए अध्यापन कोई नया कार्य नहीं है। पौराणिक काल में कई विदुषी महिलाएँ जैसे गार्गी, मैत्रेयी, तिलोत्तमा आदि ज्ञान प्रदान करती थीं। शिक्षा की प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। आज भी महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्ष अध्यापिका बनकर अपने कौशल का विकास कर रहीं हैं और समाज को लाभान्वित कर रहीं हैं।

आज का युग शिक्षा प्रधान है जिसमें महिला शिक्षार्थी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये महिला शिक्षार्थी हीं आगे चलकर देश की भावी नागरिक बन देश की बागडोर संभालेंगी। भारतीय समाज में प्रारम्भ से ही दो

वर्ग रहे हैं। प्रथम वर्ग जो समाज का नेतृत्व करता है अर्थात् उस वर्ग को सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं तथा उच्च जाति के होने के कारण उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर भी ऊँचा होता है तथा दूसरा वर्ग जो प्रथम वर्ग अर्थात् उच्च वर्ग या सामान्य वर्ग द्वारा शोषित, दबित, निम्न या वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। इनका सामाजिक और आर्थिक स्तर प्रथम वर्ग की अपेक्षा कमजोर एवं नीचा होता है। इस कारण इन दोनों वर्गों में सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी असमानताएँ होती हैं।

उच्च तथा निम्न के भेद को मिटाकर समानता की स्थापना हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक संरक्षण देने का प्रावधान किया गया तथा संविधान लागू होने के बाद आरक्षण नीति का लाभ भी वंचित वर्ग को मिला जिससे ये आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की श्रेणी में गिने जाने लगे। अभी भी इस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व चयनित सेवाओं में नहीं है तथा समाज में अभी भी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विषमता मौजूद है।

समाज का आरक्षित वर्ग विशेषकर महिलाएँ अपने अधिकारों एवं उपलब्धियों से परिचित हों तथा उनका सामाजिक आर्थिक स्तर सामान्य वर्ग के समकक्ष हो, इसके लिए मौजूदा तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उनके जीवन स्तर का पता लगाकर एवं उन्हें महाविद्यालयी वातावरण में सहज विकास के अवसर प्रदान कर ऐसा किया जा सकता है।

शोध के उद्देश्यः

1. चयनित महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की सामान्य वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का पता लगाना।
2. चयनित महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की आरक्षित वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का पता लगाना।
3. चयनित महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की सामान्य व आरक्षित वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर की तुलना करना।

शोध हेतु परिकल्पनाः

1. सामान्य व आरक्षित वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में कोई अन्तर नहीं होता है।

न्यादर्श

100 प्रशिक्षणार्थी

सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग
50 प्रशिक्षणार्थी	50 प्रशिक्षणार्थी

अध्ययन की विधिः प्रस्तुत शोधकार्य के अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषणः राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर से संबंधित समंकों का संकलन, विश्लेषण एवं संगठन डॉ. राजीव लोचन भारद्वाज द्वारा निर्मित सामाजिक–आर्थिक स्तर प्रमापनी के द्वारा किया गया है जिसके अंतर्गत सामाजिक परिप्रेक्ष्य, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय, मासिक आय एवं जाति के आधार पर संकलित समंकों को वर्गानुसार एवं क्षेत्रवार संगठित एवं सुव्यवस्थित किया है।

सामान्य वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का क्षेत्रवार विश्लेषण –

सामान्य वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को क्षेत्रवार वर्गीकृत किया गया है जैसे – सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर एवं कुल सामाजिक–आर्थिक स्तर की विभिन्न वर्ग श्रेणियों यथा मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों, का प्रतिशत ज्ञात कर सर्वाधिक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का वर्ग–समूह पता लगाया गया ।

सारणी –1

सामान्य वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों (N=50) के सामाजिक–आर्थिक स्तर का क्षेत्रवार विश्लेषण

क्र.स.	वर्ग / स्तर	प्राप्तांको की श्रेणी	सामाजिक स्तर		आर्थिक स्तर		सामाजिक आर्थिक स्तर	
		T - Score	f	%	f	%	f	%
1	उच्च वर्ग	70 – above	0	0	0	0	2	4
2	उच्च मध्यम वर्ग	60.69	9	18	1	2	3	6
3	मध्यम वर्ग	40.59	41	82	49	98	45	90
4	उच्च निम्न वर्ग	30.39	0	0	0	0	0	0
5	निम्न वर्ग	39 – below	0	0	0	0	0	0

व्याख्याः उपर्युक्त सारणी–1 का क्षेत्रवार वर्गीकरण देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तर के अंतर्गत सर्वाधिक 82 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी मध्यम वर्ग से तथा 18 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। आर्थिक स्तर के अंतर्गत भी सर्वाधिक 98 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी मध्यम वर्ग से संबंधित हैं एवं मात्र 2 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी उच्च मध्यम वर्ग से पाई गईं। डॉ. राजीव लोचन

भारद्वाज निर्मित SESS परीक्षण मापनी के अनुसार गणना द्वारा यह स्पष्ट दृश्टिगोचर होता है कि कुल सामाजिक–आर्थिक स्तर के अंतर्गत सर्वाधिक 90 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी प्राप्तांकों की T-Score 40–59 वाली श्रेणी से संबंध रखती हैं अर्थात् सर्वाधिक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर मध्यम वर्ग का है। उसके बाद 6 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी उच्च मध्यम वर्ग तथा 4: प्रशिक्षणार्थी उच्च वर्ग से संबंध रखती हैं।

अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अधिकतर सामान्य वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर मध्यम वर्ग का है। प्रशिक्षणार्थियों की बहुत कम संख्या उच्च वर्ग से संबंधित है।

आरक्षित वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का क्षेत्रवार विश्लेषण–

सामान्य वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि आरक्षित वर्ग में सर्वाधिक प्रशिक्षणार्थी सामाजिक–आर्थिक स्तर के किस वर्ग या समूह से संबंधित हैं। अतः विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर की निर्धारित श्रेणी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत निम्नानुसार है –

सारणी – 2

आरक्षित वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों (N = 50) के सामाजिक आर्थिक स्तर का क्षेत्रवार विश्लेषण

क्र.स.	वर्ग / स्तर	प्राप्तांको की श्रेणी	सामाजिक स्तर		आर्थिक स्तर		सामाजिक आर्थिक स्तर	
		T - Score	f	%	f	%	f	%
1	उच्च वर्ग	70 & Above	0	0	0	0	3	6
2	उच्च मध्यम वर्ग	60–69	2	4	0	0	0	0
3	मध्यम वर्ग	40–59	48	96	50	100	47	94
4	उच्च निम्न वर्ग	30–39	0	0	0	0	0	0
5	निम्न वर्ग	39 & Below	0	0	0	0	0	0

व्याख्याः उपर्युक्त सारणी–2 का क्षेत्रवार वर्गीकरण देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक

स्तर के अंतर्गत सर्वाधिक 96 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी मध्यम वर्ग से तथा 4प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित हैं।

आर्थिक स्तर के अंतर्गत सभी 100 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। अर्थात् सभी प्रशिक्षणार्थी मध्यम आर्थिक स्तर से संबंध रखती हैं। इस प्रकार सम्मिलित रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर मध्यम वर्ग का है तथा मात्र 6 प्रतिशत उच्च वर्ग से संबंध रखती हैं।

अतः स्पष्ट है कि राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अधिकतर आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर मध्यम वर्ग का है।

सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की तुलना –

राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर की तुलना एवं अंतर की सार्थकता टी–मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई है।

मध्यमानों के संदर्भ में यह शून्य परिकल्पना मानी गई कि सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। टी–मूल्य की सार्थकता 0.01 एवं 0.05 विश्वास स्तर पर देखी गई जो इस प्रकार है –

सामान्य वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि आरक्षित वर्ग में सर्वाधिक प्रशिक्षणार्थी सामाजिक–आर्थिक स्तर के किस वर्ग या समूह से संबंधित हैं। अतः विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर की निर्धारित श्रेणी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत निम्नानुसार है –

सारणी – 3

सामान्य वर्ग (N1 = 50) एवं आरक्षित वर्ग की (N2 = 50) प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर की तुलना1

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ग	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता / असार्थकता
1.	सामाजिक स्तर	सामान्य आरक्षित	54.61 50.82	4.1 3.74	4.83	सार्थक अन्तर है।
2.	आर्थिक स्तर	सामान्य आरक्षित	50.28 48.03	3.8 3.7	3.01	सार्थक अन्तर है।
3.	सामाजिक	सामान्य	54.54	6.4	1.44	सार्थक अन्तर नही है।

जहॉ –

d.f. (Degree of Freedom) = (N1+N2-2)

= (50+50-2)

= 98

t(अपेक्षित मान) = 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थकता = 2.63

= 0.05 विश्वास स्तर पर सार्थकता = 1.98

सामाजिक–आथिक स्तर के लिए–

t(प्राप्त मान) = 1.44

1.44 < 2.63 & 1.98

प्राप्त मान < अपेक्षित मान

परिकल्पना –1

सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

व्याख्याः सारणी–3 का अवलोकन करने पर निम्नलिखित परिणाम परिलक्षित होते हैं –

प्रथम क्षेत्रः सामाजिक स्तर

सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर की तुलना हेतु सारणी–3 में सामाजिक स्तर के प्राप्त मध्यमानों की टी–परीक्षण से तुलना की गई है। इसमे दोनों सामान्य एवं आरक्षित वर्ग समूह का टी–मूल्य 4.83 प्राप्त हुआ, जो d.f.=98 स्तर पर 0.05 विश्वास स्तर के सारणी मान 1.98 स्तर से अधिक पाया गया तथा 0.01 स्तर के सारणी मान 2.63 से भी अधिक पाया गया। यह प्रदर्शित करता है कि दोनों वर्ग समूह के बीच सार्थक अन्तर है।

द्वितीय क्षेत्र : आर्थिक स्तर

राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के संबंध में मध्यमानों की टी–परीक्षण द्वारा तुलना की गई। प्रदत्तों का टी–मूल्य 3.01 प्राप्त हुआ जो d.f.=98 स्तर पर 0.05 विश्वास स्तर के सारणी मान 1.98 तथा 0.01 स्तर के सारणी मान 2.63 से अधिक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षणार्थियों के दोनों वर्ग समूहों में

आर्थिक स्तर पर सार्थक अन्तर है।

दोनों क्षेत्रों में कुल टी–मान देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है। इस हेतु प्राप्त टी–मान 1.44, d.f.=98 के लिए 0.05 विश्वास स्तर तथा 0.01 स्तर के सारणी मान क्रमशः 1.98 एवं 2.63 से कम पाया गया। अतः टी–मान में सार्थक अन्तर नहीं है।

यहाँ हमारी परिकल्पना सार्थक सिद्ध होती है।

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष निम्नांकित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किए जा सकते हैं –

1. सामान्य वर्ग की अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षणार्थी मध्यम स्तर का सामाजिक–आर्थिक स्तर रखती हैं। उसके बाद उच्च मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग से संबंधित हैं।
2. आरक्षित वर्ग की भी अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षणार्थी मध्यम स्तर का सामाजिक–आर्थिक स्तर रखती हैं एवं कुछ उच्च वर्ग से संबंध रखती हैं।
3. सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर समान है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर लगभग समान है अर्थात् उनमें अन्तर नहीं है।

अध्ययन के निष्कर्षः प्रस्तुत शोधकार्य के निष्कर्ष शोध के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के आधार पर निम्न शीर्षकों के अंतर्गत उल्लेखित किए गए हैं –

प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर से संबंधित निष्कर्षः

1. सामान्य वर्ग की 90 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी समाज के मध्यम वर्ग से संबंधित हैं।
2. सामान्य वर्ग की केवल 6 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित हैं।
3. उच्च वर्ग से संबंधित सामान्य वर्ग की केवल 4 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी पायी गयीं।
4. आरक्षित वर्ग की 94 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर मध्यम वर्ग के समकक्ष है तथा मात्र 6 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का उच्च वर्ग का सामाजिक–आर्थिक स्तर है।
5. सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

अतः सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात् दोनों वर्ग की प्रशिक्षणार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में लगभग समानता पाई गई जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर समान है।

निष्कर्षों की व्याख्याः

- ❖ सामान्य वर्ग की 90 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। अर्थात् सामान्य वर्ग की अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षणार्थी मध्यम स्तर का सामाजिक–आर्थिक स्तर रखती हैं और बहुतायत में मध्यम वर्ग की महिलाएँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने में रूचि रखती हैं।
- ❖ सामान्य वर्ग की केवल 6 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत उच्च– मध्यम वर्ग की महिलाएँ कम संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना पसंद करती हैं।
- ❖ समाज के उच्च वर्ग से संबंधित सामान्य वर्ग की केवल 4 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षणार्थी पायी गयीं। इससे ज्ञात होता है कि उच्च वर्ग की बहुत ही कम महिलाएँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं।
- ❖ आरक्षित वर्ग की 94 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर मध्यम वर्ग के समकक्ष है अर्थात् आरक्षित वर्ग की बहुसंख्यक मध्यम वर्ग से संबंधित महिलाएँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।
- ❖ आरक्षित वर्ग में मात्र 6 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का उच्च वर्ग का सामाजिक–आर्थिक स्तर है। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कुछ प्रतिशत ही ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् हैं तथा उच्च वर्ग से संबंधित हैं।
- ❖ सामान्य एवं आरक्षित वर्ग की शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर समान है। अतः महाविद्यालय में ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिनसे परस्पर समानता के भाव में वृद्धि हो सके।

अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थः

- ❖ सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के भेद को मिटाने के लिए शिक्षानीति निर्माताओं को केवल वर्गाधार को ही नहीं अपितु योग्यता को भी समान महत्त्व देना चाहिए।
- ❖ सामान्य वर्ग के निम्न आय वाले एवं योग्य विद्यार्थियों को भी समुचित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझावः

शोघार्थी ने भावी शोध हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं –

1. प्रस्तुत शोध में एक ही महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रशिक्षणार्थियों पर अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन एकाधिक महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर

भी किया जा सकता है।

2. यह अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं पर भी किया जा सकता है।
3. यह अध्ययन ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षणार्थियों पर भी किया जा सकता है।
4. यह अध्ययन विभिन्न स्तरीय अध्यापकों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।
5. विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।
6. यह अध्ययन विभिन्न संकायों – कला, विज्ञान व वाणिज्य के प्रशिक्षणार्थियों को लेकर तुलनात्मक रूप में भी किया जा सकता है।
7. यह अध्ययन महाविद्यालय प्रशासन पर भी किया जा सकता है।

संदर्भ

- Best, J.W. (1963): "Research in Education", New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 1983.
- Garret, H.E. & Wood Worh (1984): "Statistics in Psychology and Education", Ludhiyana Kalyani Publishers, 8th Edition.
- Dhodhiyal, S.N., Phatak, A.B. (1972): "Shakshik Anusandhan Ka Vidhishastra", Raj. Hindi Granth Academy, Jaipur.
- Bhatnagar, R.P. and Bhatnagar, A.B. (1995): "Educational Research: Method & Analysis", Lal Book Depot, Meerut.

❍❍❍❍❍

ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं एवं उनके कारकों का अध्ययन

रश्मि पंत

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों की तुलना में दोयम दर्जे का स्थान दिया गया है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की जो स्वतन्त्रता एवं अधिकार पुरूषों को प्रदान किए गए हैं महिलाएं उससे वंचित ही रही हैं। भारतीय परिवेश में जहां पर व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को धार्मिक मान्यताओं से संचालित किया जाता है, स्त्री एवं पुरूष की जीवन प्रणाली को संचालित करने के लिए भी धार्मिक मान्यताओं का ही सहारा लिया जाता है तथा किसी न किसी रूप में यह प्रणाली स्त्री–पुरूष के प्रति पक्षपाती व्यवहार करती प्रतीत होती हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक स्थान पर पुरूषों को स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण नागरिक का स्थान दिया गया है।

पुत्र को जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला तथा पुत्रियों को सभी दुखों के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है (ऐतरेय ब्राहमण)। इसी प्रकार प्रसिद्ध हिन्दू विधि संहिता (मनु संहिता) में स्त्री को एक व्यक्ति के स्थान पर वस्तु के रूप में वर्णित करते हुए उसे बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने हेतु आदेशित किया गया है । स्त्री एवं पुरूष के मध्य यह भेदभाव एवं उपेक्षा केवल सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर ही नहीं अपितु भोजन एवं पोषण की उपलब्धता पर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में माता के दूध की कम उपलब्धता, उनके भोजन में पोषक पदार्थों एवं फलों की कमी एक सामान्य बात है। बालिका शिशुओं को बालक शिशुओं की तुलना में माता का दूध कम समयान्तराल तथा कम मात्रा में दिया जाता है (दास, 1981) । इसी प्रकार तमिलनाडू के ग्रामीण इलाकों में किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बालक शिशुओं को बालिका शिशुओं की तुलना में दस महीने अधिक समय तक माता का दूध दिया जाता है (खान, 1983)। दूसरी ओर बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए अधिक शारीरिक श्रम, पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन आदि निर्धारित किये गये हैं। स्वयं सेवी संस्था 'पहल' द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण इलाकों में किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि 94 प्रतिशत ग्रामीण बालिकाएं अपने भाइयों की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम करती हैं तथा भोजन में उनका भाग लड़कों की तुलना में कम है। एन0एन0एम0बी0(1986) द्वारा भारत में कराये गये स्वास्थ्य एवं पोषण सर्वे में यह पाया गया कि 13 से 18 वय वर्ग की 80 प्रतिशत लड़कियां अपने निर्धारित कैलोरी स्तर से कम कैलोरी का उपभोग कर रही हैं तथा 18 वर्ष से अधिक वय वर्ग की 70 प्रतिशत महिलाएं अपने आयु वर्ग के लिए निर्धारित कैलोरी स्तर से कम कैलोरी का उपभोग

करती हैं। इंडियन कौन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 1992 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग की कलकत्ता में रहने वाली 90 प्रतिशत, हैदराबाद तथा दिल्ली में रहने वाली 70 प्रतिशत तथा मद्रास में रहने वाली 20 प्रतिशत लड़कियां रक्ताल्पता (एनिमिया) से पीड़ित थीं। इस प्रकार के भेदभाव एवं असंतुलित खान–पान के कारण ही बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों की तुलना में कम तथा असंतुलित होता है। चूँकि आज की बालिकाएं ही आगे चलकर माताएं बनती हैं अतः इस शारीरिक अक्षमता एवं कुपोषण का प्रभाव न केवल उन पर अपितु उनकी आने वाल सन्तानों पर भी पड़ता है।

जीवन के प्रथम 6 वर्षों में जो कुपोषण पाया जाता है उसका प्रभाव जीवन पर्यन्त रहता है। महिलाओं एवं किशोरावस्था की बालिकाओं के पोषण पर सर्वाधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसका प्रभाव केवल उनके स्वास्थ्य पर नहीं, अपितु उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है (सुन्दर रामन एवं गुप्ता, 2010)। विभिन्न समुदायों के पोषण स्तर पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर पर क्योंकि ऐसा करने से अनेक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है जिनका वर्तमान में अनेक देश सामना कर रहे हैं (डब्लू0एच0ओ0 1998)। वर्तमान में भारत में जन स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या एक विकट समस्या बन गयी है तथा मानव विकास सूचकांक जो कि देश में नागरिकों के स्वास्थ्य, पोषण एवं जीवन स्तर में विकास को प्रदर्शित करता है उसमें भारत का स्थान 176 देशों में 134 वा हैं जो कि अत्यन्त शोचनीय है। कुपोषण की समस्या को हल करने में हमारा देश पिछड़ता जा रहा है तथा 2025 तक भी विकसित देशों के स्तर को प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता है (सुन्दररामन एवं गुप्ता, 2012)। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में दो भाग स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, शहरी भारत एवं ग्रामीण भारत तथा ग्रामीण भारत के निवासी स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में शहरी भारत के निवासियों से अत्यन्त पिछडें हुए हैं। तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–6 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 29.5 प्रतिशत पुरूषों का तथा 44 प्रतिशत महिलाओं का बी0एम0आई0 (बॉडी मास इण्डैक्स) 18.5 से कम था जो कि स्पष्ट रूप से कुपोषण की ओर इंगित करता है। इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और भी अधिक चिंतनीय है। एन0एन0एम0बी0 द्वारा 1998 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 63 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की ऊँचाई 145 से0मी0 से कम तथा उनका भार 38 किलोग्राम से कम था। इस वर्ग की महिलाओं द्वारा गर्भ धारण करने पर उनका शारीरिक विकास और भी अवरूद्ध हो जाता है जिससे उनके अंगों में विकार आ जाता है तथा कभी–कभी मातृत्व मृत्यु भी हो सकती है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 2012 में करवाये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार युवा ग्रामीण महिलाओं की शारीरिक समस्याओं के प्रमुख कारण अग्रवत थे :–

1. कम आयु में विवाह

2. सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुओं पर अधिक कार्य का भार
3. महिलाओं में वित्तीय संसाधनों का अभाव
4. महिलाओं पर पूरे परिवार की देखभाल एवं उत्तरदायित्व का भार
5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का अभाव

ग्रामीण क्षेत्र मे कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी समुचित रूप से प्रदान नहीं करते हैं, यहां तक कि यदि वह इस प्रकार की जानकारी प्रदान करते भी हैं तो भी अधिकांश लोग उस पर ध्यान नही देते हैं (पार्थसारथी एवं कविता, 2004)। इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की शारीरिक समस्याओं के अनेक सामाजिक कारक भी हैं अधिकांश ग्रामीण परिवारों में शिक्षा का अभाव होता है जिस कारण इनमें रूढिवादी मान्यतायें अधिक पायी जाती हैं, कम आयु में विवाह, अधिक संतानोत्पत्ति एवं पुत्र जन्म की अनिवार्यता आदि। स्त्रियों को पुरूषों के बाद भोजन देना, परिवार के समस्त सदस्यों के भोजन करने के बाद ही स्त्रियों को भोजन देना, पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों को अपर्याप्त एवं असंतुलित आहार देना भी स्त्रियों के कुपोषण एवं अन्ततः उनकी शारीरिक समस्याओं का कारक बनता है (कोरघाडे, बाकर, कनाडे एवं फाल, 2012)। स्वास्थ्य बड़ी सीमा तक पोषण पर ही निर्भर करता है तथा पोषण भोजन पर। वास्तव में भोजन वह सबसे बड़ा कारक है जो स्वास्थ्य की समुचितता के लिए आवश्यक है (गुरूमूर्थी, 1995)। इस प्रकार ग्रामीण समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल एवं रखरखाव के साधन अत्यन्त अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं। अशिक्षा, गरीबी, आर्थिक अक्षमता तथा रोजगार के साधनों की अनुपलब्धता के कारण भारतीय ग्रामीण महिलायें अत्यन्त निम्न स्तरीय जीवन यापन करने को विवश हैं । पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक प्रत्येक स्तर पर इन महिलाओं को अनेक गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इन परिस्थितियों में यह अध्ययन अपरिहार्य है कि वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार की शारीरिक समस्यायें हैं तथा उनके अनुसार इन समस्याओं के क्या कारक हैं ।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. युवा ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना
2. ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के कारकों का अध्ययन करना
3. ग्रामीण महिलाओं के विवाह की आयु एवं शैक्षिक स्तर ज्ञात करना

शोध अध्ययन की विधि

प्रस्तुत शोध हेतु ब्लाक कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों की 120 महिलाओं का चयन शोध की उददेश्यात्मक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। शोध में सम्मिलित

महिलाओं की आयु 18 से 22 वर्ष थी।

पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त जनपद है तथा यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर अत्यन्त न्यून है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सवास्थ्य सेवाएं भी समुचित रूप से विकसित नही हैं जिस कारण यहां के निवासी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित रहते हैं । शोध हेतु शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा समूह साक्षात्कार एवं मुक्तोत्तर प्रश्नावली विधि से आंकड़े एकत्रित किये गये। प्राप्त आंकड़े गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनो ही रूपों में थे। सर्वेक्षण में सम्मिलित महिलाओं का चिकित्सकीय अवलोकन भी किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण :– शोध अध्ययन से प्राप्त आंकड़े निम्नवत हैं –

सारणी– 1 : ग्रामीण महिलाओं में पायी गयी प्रमुख स्वास्थ्य समस्यायें

क्र. संख्या	शारीरिक समस्यायें	पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत
1	रक्ताल्पता	92
2	कम भार	89
3	कमर का दर्द	85
4	प्रजनन तंत्र संबंधी समस्यायें	72
5	पायरिया	55
6	पाचन तंत्र संबंधी समस्यायें	32

सारणी – 2 : ग्रामीण महिलाओं के अनुसार उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारक

क्रम संख्या	शारीरिक समस्याओं के कारक
1	कम आयु में विवाह एवं गर्भधारण
2	प्रसव कालीन अज्ञानता
3	अधिक बार गर्भधारण करना
4	पौष्टिक भोजन का अभाव
5	चिकित्सकीय जानकारी एवं सूचनाओं का अभाव
6	शारीरिक श्रम की अधिकता
7	बिमारियों के प्रति पारिवारिक सदस्यों की उपेक्षा
8	पति को नशें की आदत का होना
9	अपनी अस्वस्थता के बारे में दूसरों से बात करने पर संकोच

सारणी–3 : न्यादर्श में चयनित महिलाओं की विवाह की आयु

क्रम संख्या	आयु वर्ग	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	15 से 18	88	81
2	18 से 20	17	14
3	20 से अधिक	05	5

सारणी–4 : न्यादर्श में चयनित महिलाओं का शैक्षिक स्तर

क्रम संख्या	शैक्षिक स्तर	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	0 से 5 वीं कक्षा तक	36	30
2	5 से 10 वीं कक्षा तक	64	54
3	10 वीं कक्षा से अधिक	20	16

सारणी–5 : न्यादर्श में सम्मिलित महिलाओं के परिवार की मासिक आय

क्रम संख्या	मासिक आय रू0 में	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	1000 तक	53	44
2	1000 से 5000	50	42
3	5000 से अधिक	17	14

प्राप्त आंकड़ों का अर्थापन :–

1. सारणी एक (1) में प्रस्तुत आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि युवा ग्रामीण महिलाओं में सबसे प्रमुख रूप से पायी गयी समस्या रक्ताल्पता एवं कम भार है, जो स्पष्ट रूप से कुपोषण एवं संतुलित भोजन के अभाव को इंगित करता है।
2. 85 प्रतिशत महिलायें कमर दर्द तथा 72 प्रतिशत महिलायें प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं जिसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसवकाल में बरते जाने वाली रूढिवादी मान्यतायें हैं जिनके अन्तर्गत प्रसूता स्त्री को जमीन पर सोना, दूध का सेवन ना करने देना तथा खुले स्थान पर ठंडे पानी में स्वयं के व शिशु के कपड़े धोना आदि हैं।
3. न्यादर्श में 35 प्रतिशत महिलायें दंत रोग, पायरिया से पीड़ित पाई गईं जिसका कारण उनके

द्वारा नियमित ब्रश न करना तथा दांत साफ करने हेतु लकड़ी के कोयले अथवा मिट्टी का प्रयोग करना है।

4. सारणी (2) में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य के कारकों को उनके प्राथमिकता के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया। लगभग सभी महिलाओं के अनुसार कम आयु में विवाह एवं गर्भधारण करना उनके खराब स्वास्थ्य का सबसे प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त प्रसवकालीन अज्ञानता, बार–बार गर्भधारण, पौष्टिक भोजन का अभाव भी उनकी शारीरिक समस्याओं के प्रमुख कारक हैं।
5. इन महिलाओं के अनुसार चिकित्सकीय सहायता एवं सूचनाओं का अभाव उनकी अस्वस्थता का एक प्रमुख कारण है। सही समय पर रोगों को विषय में जानकारी व उपचार न मिल पाने के कारण उनकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं तथा धीरे–धीरे अत्यन्त गम्भीर रूप ले लेती हैं।
6. न्यादर्श में सम्मिलित अधिकांश महिलाओं के अनुसार उनके पति को नशा करने की आदत है जिस कारण संम्पूर्ण परिवार के निर्वहन का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। अतः वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं।
7. सारणी–3 में न्यादर्श में चयनित महिलाओं की विवाह की आयु प्रदर्शित की गयी है। 81 प्रतिशत महिलायें विवाह के समय 18 वर्ष से कम आयु की थी जिसका प्रमुख कारण उनके परिवारों का निम्न शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर था।
8. सारणी–4 में न्यादर्श में सम्मिलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया है समूह में सम्मिलित महिलाओं में से 84 प्रतिशत महिलायें हाईस्कूल से भी कम शिक्षित थी। केवल 16 प्रतिशत महिलाएं ही इण्टमीडिएट पास थीं।
9. सारणी–5 में समूह में शामिल महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति प्रदर्शित की गई है जो यह प्रदर्शित करती है कि समूह में शामिल महिलाओं की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है तथा उनकी मासिक आय रू0 1000 से भी कम है। केवल 14 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू0 5000 से अधिक है।

निष्कर्ष : उपरोक्त शोध अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शारीरिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। पौष्टिक भोजन, सवास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का अभाव परिवार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के बोझ के चलते ये महिलाएं अत्यन्त निम्नस्तरीय जीवन यापन कर रही हैं। उपरोक्त परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल महिलाओं अपितु सामान्य जन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में सघन चिकित्सा शिविरों के संचालन की आवश्यकता है, साथ ही इन क्षेत्रों में शैक्षिक एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी करना चाहिए जिससे कि सामान्य

जन के जीवनस्तर में सुधार हो सके।

References :

1. (Das, 1981), Cited from Women and Nutrition : Reflection from India and Pakistan. www.unsystem.org/SCN/archives.
2. Gurumurthy, C. (1995), Health Practices Among the Tribal's of Andhra Pradesh, Delta Publishing House, New Delhi.
3. Khan, (1983), cited from Women and Nutrition : Reflections from India and Pakistan, www.unsystem.org/SCN/archives.
4. Parthosarthy, Kavita, (2004), Research on Literacy – Literacy and Development- Vol. II, S.R.C. for Non Formal, Adult and Continuing Education, Chennai.
5. Chorgade, G ., Barker, Kanade, Fall, (2012), Why are rural Indian woman so thin ? Finding from a village in Maharastra, cited from www.Indiahealth.com
6. Report of National Nutrition Monitoring Bureau (1986, 1998). Cited from www.unsystem.org/SCN/archives.
7. Report of National Family Health survey (2005-06), www.google.com.
8. Sundar raman and Gupta, (2010), Health and Nutrition in Rural India, cited from www.unsystem.org/SCN

❍❍❍❍❍

राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री. मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

मुझे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2012 के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में भाग लेने के लिए आज यहां इस ऐतिहासिक शहर लखनऊ में आकर बहुत खुशी हो रही है। यह हमारे कैलेण्डर की एक महत्वपूर्ण घटना है जो सम्पादित कार्य के लिए खुशी मनाने और भावी लक्षित दूरियों (निर्धारित लक्ष्यों) के बारे में आत्मनिरीक्षण करने का अवसर भी होता है।

कहने की आवश्यकता नहीं है, साक्षरता एक मानवाधिकार, व्यक्तिगत सशक्तीकरण का साधन और सामाजिक एवं आर्थिक विकास का माध्यम है। यह किसी समाज के विकास का आकलन करने के लिए अन्य सामाजिक मानदण्डों के साथ अपनाया गया एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदण्ड है।

मैं एक विक्षोभकारी तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे यहां निरक्षर व्यक्तियों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। पिछले दशक में हासिल की गई हमारी 74 प्रतिशत साक्षरता दर 84 प्रतिशत की वैश्विक औसत से बहुत कम है और यह चीन, ईरान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे कुछ एशियाई देशों द्वारा हासिल की गई साक्षरता दर से बिल्कुल विपरीत है।

हम खुद को इस बात से तसल्ली दे लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर 12 प्रतिशत से थोड़ी सी ज्यादा थी और उसके बाद से इसके 1991 में 52 प्रतिशत होने, 2001 में 65 प्रतिशत होने और 2011 में 74 प्रतिशत होने से इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है।

यह भी सुस्पष्ट है कि युगों–युगों से हमारे संतों और विद्वानों द्वारा बांटा गया विपुल ज्ञान का भंडार आंकड़ों के लिहाज से बहुत थोड़े–से लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

विरोधाभास यह है कि अपने ही देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के मामले में असमान रूप से प्रगति हुई है और व्यापक असमानताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार, केरल में लगभग शत–प्रतिशत साक्षरता है। हिमाचल प्रदेश और मिज़ोरम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। दूसरी तरफ, कुछ अन्य राज्यों का रिकार्ड राष्ट्रीय औसत से भी कम है। जब इसे शिशु मृत्यु दर और संभावित जीवन–काल जैसे अन्य सामाजिक संकेतकों के साथ मिलाकर देखा जाता है तो साक्षरता और जीवन–स्तर के बीच पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाता है।

यहां उपस्थित श्रोतागण हमारे सभी आयु–वर्गों के लोगों में साक्षरता देने के लिए पिछले दशक में उठाए गए कदमों के बारे में भली–भांति परिचित है। 2002 के संविधान (छियासीवा) संशोधन और 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आयु पिरामिड के आधार में मौजूद समस्या का समाधान किया गया है। 15 से 34 वर्ष और 35 से 59 वर्ष के उच्चतर आयु वर्ग के लोगों जो कुल मिलाकर जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशत है, के मामले में और विशेषकर इसके कमजोर और वंचित वर्गों में व्याप्त निरक्षरता को दूर किए

जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रयोजन यही था कि इसके अन्तर्गत 15 स 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया जाए। इसे पढ़ने, लिखने और अंकगणित का कौशल अर्जित करने तथा उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने की क्षमता अर्जित करने तथा इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर अपनी दशा में सुधार लाने के रूप में परिभाषित किया गया है।

अनुभव से यह पता चला कि इसमें और सुधार करने तथा अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्कयता है। तीन वर्ष पहले, इसी दिन, सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के इस अभिनव रूपांतर 'साक्षर भारत' की शुरूआत की गई थी। मिशन का प्राथामिक उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता की गुणवत्ता तथा मानक में सुधार करके एक पूर्णतया साक्षर समाज की स्थापना करना है।

मिशन का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग में 70 मिलियन वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है और इन वयस्कों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के अन्य वंचित समूहों के वयस्कों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर संस्थागत ढ़ांचे के साथ मिशन प्रणाली (मिशन मोड) के अन्तर्गत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की संख्या इस कार्यक्रम का आधार स्तम्भ है।

इसके महत्व का औचित्य स्पष्ट है। हमारी जनसंख्या का 44 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास मुख्य रूप से उनकी साक्षरता के स्तर पर निर्भर करता है। इस प्रकार महिलाओं की साक्षरता उनके सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः साक्षर भारत कार्यक्रम महिलाओं की साक्षरता पर विशेष बल देता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि जहां एक ओर गत दशक के दौरान पुरूषों की साक्षरता दर 75 प्रतिशत से बढ़कर 82.14 प्रतिशत हुई है। उसी अवधि के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 से बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गई है। इनसे लिंग आधारित अंतर 21 से घटकर 16 प्रतिशत हो गया है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि साक्षरता कार्यक्रम 25 राज्यों और एक राज्य क्षेत्र में फैले 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एक लाख ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं और घर–घर जाकर किए सर्वेक्षण के माध्यम से लगभग 570 लाख निरक्षर लोगों की पहचान की गई है। साक्षरता कक्षाओं के 16 लाख केंद्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और इनमें लगभग 174 लाख शिक्षार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से लगभग 144 लाख शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था (नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षाओं में साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया है।

यद्यपि मात्रात्मक आंकड़े देखने में प्रभावी लगते हैं, तथापि प्रदान की जा रही साक्षरता की गुणवत्ता के

बारे में कुछ प्रश्नों का पूछा जाना जरूरी है। हम इस स्थिति को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि शैक्षणिक परिणामों में स्थिरता और गुणवत्ता की कमी जीवन की सच्चाई है, तो हम इस बात को कैसे सुनिश्चित करें कि इससे क्षमता निर्माण तथा अंततः नियोजनीयता आएगी? चूंकि यह कार्यक्रम मिशन प्रणाली के अन्तर्गत है, तो मिशन समाप्त होने पर हम इसकी निरंतरता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, हमें सभी स्तरों पर अर्थात राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा समितियों में मशीनरी को तेज करना होगा। न केवल सरकारी प्राधिकरणों ढ़ांचे को समेकित करने और सशक्त बनाए जाने की जरूरत है।

इसके अलावा, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का विकास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उभरते परिवर्तनों के अनुरूप साक्षरता मिशन को ढ़ालने की क्षमता पर निर्भर करता है। अस्थायी अभिकरण के रूप में काम करने की अपेक्षा, मिशन को एक नियमित एवं स्थायी तंत्र के रूप में आकार दिए जाने की जरूरत है। ऐसे तंत्र को न केवल विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों के स्तर पर अपितु सिविल सोसायटी के संगठनों, सामाजिक भागीदारी, निजी क्षेत्र समुदाय और प्रौढ़ शिक्षार्थियों तथा शिक्षक संगठनों के स्तर पर भी स्थापित किया जाना और आगे जारी रखा जाना है।

कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगी कि स्थानीय स्वशासन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इसे कितने प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

अंततः हमें निरक्षरता के विरूद्व अपनी मुहिम में अधिक जन–जागरूकता पैदा करने और लोक मत बनाने की ज़रूरत है। अपनी इच्छा से नही बल्कि परिस्थितियों से बाध्य होकर कोई व्यक्ति निरक्षर बनता है। यह समाज का कर्तव्य है कि वह निरक्षरता बढ़ाने वाली स्थितियों में परिवर्तन लाए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज, गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, साक्षरता हमारे देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तथा एक प्रबुद्ध समाज क निर्माण के लिए आवश्यक है।

मैं प्रत्येक नागरिक से इस चुनौती को स्वीकार करने और निरक्षरता के चंगुल से भारत को मुक्त करने में अपना योगदान देने का आग्रह करता हूँ।

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में मूल्योन्मुखता का अध्ययन

शोभा वैद्य

संतोष एस्के

प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होता है। हम किसी भी देश के आज के विद्यार्थी को देखकर सहज यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश के कल के नागरिक कैसे होंगे। आज के विश्व में मनुष्य के आचरण में तेजी से आती हुई नैतिक गिरावट तथा अशांति के वातावरण को देखकर प्रायः सभी प्रबुद्ध विचारक चिंतित हैं। नैतिक अवमूल्यन के साथ–साथ हमारी आस्थाएं विखंडित हो रही है,सामाजिक विघटन हो रहा हैं, परिवार छिन्न–भिन्न हो रहे हैं। चारों ओर अपराधों और युद्धों का वातावरण बना हुआ है। इन समस्याओं को दूर करने का तरीका है शिक्षा द्वारा विश्व में शांति एवं मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा ।

जिस समाज में अज्ञान, अन्याय और अभाव एकछत्र साम्राज्य करे उस समाज की क्या दशा होगी इसकी कल्पना मात्र ही की जा सकती है। अब माता–पिता की भूमिका केवल जन्म देने तक रह गई है। शेष कार्य बालक अपने आप कर रहे हैं। नैतिक मानदण्ड तो उसी समय फिसल जाते हैं जब बालक कहता है कि ''हम तो हमारे माता–पिता की त्रुटियों के परिणाम हैं।'' क्या ऐसे संस्कारयुक्त समाज में नैतिकता की शिक्षा की आवश्यकता है ? यह कथन आज के माता–पिता तथा आचार्य, प्रबुद्ध विचारकों, एवं शिक्षा शास्त्रियों पर एक करारी चोट है। इस कथन में समाज के सभी अभिकरणों की कर्तव्यहीनता छिपी हुई है। माता–पिता बालक को विद्यालय भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, अध्यापक बालक को मशीन की तरह पढ़ाकर तथाकथित ज्ञानवान की श्रेणी में ले आते हैं। आये दिन ऐसी अनेक घटनाएं सुनाई पड़ती है जिसमें छात्रों द्वारा शिक्षक–शिक्षिकाओं का अपमान, अनुशासनहीनता, सामाजिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाना आदि शामिल होता है।

यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व एवं पश्चात् जब विदेशी शिक्षा प्रणाली को हमने अपना लिया उसी क्षण वर्तमान स्थिति का बीजारोपण हो गया था। अब छात्रों के व्यवहार की सर्वत्र आलोचना की जाती है। अनेक विशेषणों से उन्हें विभूषित किया जाता है। परन्तु वास्तव में हमारा छात्र समुदाय इसके लिए दोषी कदापि नहीं है, इसके लिए हमारी शिक्षा–पद्धति भी समान रूप से दोषी है।

वर्तमान युग में मानव जाति विकासात्मक संक्रान्ति से गुजर रही है। समय के साथ मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। मूल्य सिखाने, संस्कार देने वाली शिक्षा की आज सर्वत्र आवश्यकता है। यदि

शिक्षा मनुष्य को आदर्श मानव नहीं बनाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज नैतिकता की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि मूल्यों का हर स्थान पर पतन हो रहा है। इसी कारण से देश की नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष बल दिया गया था। परिणामस्वरूप कई राज्यों में नैतिक शिक्षा व मूल्यों की शिक्षा पर पाठ्य पुस्तकें तैयार कर एक विषय के रूप में प्रारम्भ किया गया।

मूल्य का अर्थ

मूल्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ''मूल'' धातु के साथ 'यत' प्रत्यय के संयोग से हुई है जिसका शब्दिक अर्थ है, जो मूल में हो, प्रतिष्ठा के योग्य किसी वस्तु के विनिमय में दिए जाने वाला धन, कीमत, दाम या बाजार भाव से है। 'मूल्य' को अंग्रेजी भाषा में 'अंसनम' कहा जाता है जिसका अर्थ है – अच्छा, सुन्दर, उत्तम, उपयोगी, समर्थ या शक्तिशाली। अतः कहा जा सकता है कि जो कुछ भी वांछित है, इच्छित है, उत्तम है वही मूल्य है। 'मूल्य' मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार में सामन्जस्य स्थापित करने के उपकरण है। 'मूल्य' ऐसे विश्वास हैं जो बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या वांछनीय है। मूल्य यह परिभाषित करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या लाभप्रद है और क्या प्राप्त करने योग्य है।

मानव–मूल्य, परक–शब्दावली के विश्वकोश के अनुसार– मूल्य का अर्थ वेतन, पारिश्रमिक, उपयोगिता, किसी सामाजिक आदर्श, व्यक्तिगत उच्चता आदि से जोड़ा गया है ।

डॉ.धर्मपाल मैनी के अनुसार –''देश काल और परिस्थिति के सन्दर्भ में जन सामान्य की उदात्त मान्यताएँ ही मानव मूल्य होते हैं।'' हॉफडिंग के अनुसार – ''मूल्य, वस्तु या विचार में स्थित गुण होता है जिससे हमें तत्कालिक सन्तुष्टि मिलती है अथवा उस सन्तुष्टि के लिए साधन मिलता है। हैन्डरसन के अनुसार –''मनुष्य अपनी इच्छाओं को सन्तुष्ट करने के लिए कार्य करता है। अतः मानवीय इच्छा को सन्तुष्ट करने वाली क्रिया मूल्य कहलाती है । डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार –''मानव के सन्दर्भ में मूल्य का अर्थ एक ऐसी धारणा या दृष्टि है, जो मूलतः व्यक्ति के जीवन में पनपती है, किन्तु जिसका विकास समाज की ओर होता है जो समाज में आचरण, व्यवहार संबंधी मान्यताओं, विश्वासों और अभिलाषाओं को झेलती है, उनका मानदण्ड बनाती है। 'मूल्य' मानव जीवन के प्रकाश स्तम्भ है। मनुष्य मूल्यों द्वारा अपनी आकाँक्षा तथा उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मनुष्य ने समाज में अपने लिए अनेक मान्यताएँ विकसित की है जो जीवन का मानदण्ड बन गई। मनुष्य की चिन्तन धारा ने उसमें अध्यात्म का विकास कर आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना की। इस प्रकार 'मूल्य' वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणाएँ अथवा आदर्श हैं जिसके द्वारा वस्तुओं अथवा घटनाओं की एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। सापेक्षित रूप से यह देखा जा सकता है कि

वांछित अथवा अवांछित क्या है, अच्छा एवं बुरा क्या है, अधिक ठीक और कम ठीक क्या है। मूल्य वे लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अथवा सम्पूर्ण समाज के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य समाज से कुछ न कुछ ग्रहण करता है, जो कुछ ग्रहण करता है उसको धारण करता है। उस धारण योग्य तथ्य को वह मान्यता देता है तथा उसका महत्व समझता है। यही महत्व उन आदर्शों तथा विचारों का मूल्य कहलाता है।

मूल्यों का महत्व एवं उपादेयता

मानवता के विकास में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक सामान्य प्राणधारी व्यक्ति से मानव होने तक की यात्रा उसकी सामाजिक, सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक यात्रा है। मनुष्य ने इन मूल्यों को आत्मसात करके जहां अपने भौतिक जीवन को सुन्दर एवं समृद्ध बनाया है वहीं आंतरिक जीवन को भी उद्दात्त बनाया है। मूल्यों का महत्व व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रूपों में है। मानव जीवन में मूल्यों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। समाज में कुछ मूल्य सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहते हैं। मूल्य विहीन समाज, समाज नहीं कहला सकता। मूल्यों का आश्रय लेकर ही मनुष्य अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों की पूर्ति कर सकता है। मूल्य मानव का वह मेरूदण्ड है जिसके सहारे समाज अस्तित्ववान होता है। मूल्य जीवन को सदैव विकास की ओर ले जाते हैं।

मनुष्य के व्यक्तिगत निर्माण में भी मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्चकोटि के व्यक्तित्व के निर्माण में मूल्यों का विशेष महत्व है। किसी भी राष्ट्र की गरिमा मूल्यों के पालन में ही है। अतः मानवता के विकास में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता

सन् 1976, 1977 एवं 1978 में UNESCO की ओर से टोकियों (जापान) के राष्ट्रीय शैक्षिणिक एवं अनुसंधान संस्थान में ''नैतिक शिक्षा'' पर आयोजित परिचर्चा में 44 मूल्यों पर बल दिया गया। NCERT ने 83 जीवन मूल्य स्वीकृत किए हैं। सत्य सॉई फाउण्डेसन ने इनको सदाचार, सत्य, प्रेम, अहिंसा एवं शांति इन 5 प्रमुख शाश्वत मूल्यों के अन्तर्गत रखा है।

किन्तु वास्तविकता यह है कि इन मानवीय मूल्यों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती । नए समय के अनुरूप वैश्विक शांति एवं वातावरण के संरक्षण के लिए नये–नये मूल्यों की उत्कट आवश्यकता है। अतः महत्वपूर्ण प्रश्न इनकी परिभाषा या संख्या का नही वरन् इनकी पुनः प्रतिष्ठा का है ।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार –''विद्यालय एक उद्यान हैं, विद्यार्थी एक कोमल पौधा है तथा

शिक्षक एक सर्तक माली है।'' अतः जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए माली आवश्यकतानुसार उसकी देखभाल, सिंचाई करता है , उसी प्रकार शिक्षक को बच्चों के लिए शारीरिक भोजन (शारीरिक शिक्षण स्वास्थ्य, सफाई आदि) मानसिक भोजन (विभिन्न विषय साहित्य कला, विज्ञान) आत्मिक भोजन (अध्यात्मक, मानव मूल्य आचार शास्त्र) आदि का प्रबंध करना चाहिए। इनमें से प्रथम दो के लिए किए जा रहे प्रयास यद्यपि संतोषजनक कहे जा सकते हैं किन्तु तीसरा पक्ष आधुनिक शिक्षा में उपेक्षित सा रहा है। प्रथम दो के लिए पाठ्यक्रम बनाए गए, प्रविधियों की खोज की गई किन्तु नैतिकता एवं मूल्य शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया।

भारतीय संविधान के प्रावधानों में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। इसी भावना के अनुरूप संविधान की धारा 28 व 30 में शिक्षा को भी धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया गया है । अतः भारत सरकार ने कोठारी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए जो प्रस्ताव पारित किया उसमें धार्मिक शिक्षा का कोई स्पष्ट उल्लेख नही हैं बल्कि सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के संकेत मिलते हैं।

नई शिक्षा नीति में मूल्यों के गिरते स्तर पर चिंता करते हुए मूल्य परख शिक्षा (Value Education) पर विशेष बल दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को मन में बैठाना और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का शारीरिक, बौद्धिक और सौन्दर्यपरक विकास करना नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

शिमला की उच्च स्तरीय परिचर्चा प्रदत्त में महत्वपूर्ण सिफारिशों के कारण भारत में इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए जा रहे है। इस परिचर्चा की अनुशंसाएँ इस प्रकार हैं –

1. मूल्य परक शिक्षण का प्रावधान देश में किया जाये किंतु इसमे कठोरता न आने पाए ।
2. मूल्य परक शिक्षण हमारी शिक्षण पद्धति का मुख्य केन्द्र बिंदु होना चाहिए।
3. मूल्य परक शिक्षण शालेय बच्चों के साथ–साथ उन बच्चों के लिए भी हो जो शाला से बाहर है। वस्तुतः समूचे समाज को इस कार्यक्रम से संबंधित किया जाना चाहिए।
4. पाठ्यक्रम अध्यापन प्रविधियॉ एवं मूल्यांकन आदि सभी बच्चों में वाँछित गुणों का विकास सहज रूप में हो सके।
5. शिक्षा को मूल्यपरक बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के साहित्य निर्माण की आवश्यकता है।
6. इस प्रकार के शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष कार्यशाला, परिचर्चा आदि कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने चाहिए ।

इस प्रकार समाज और विश्व में मूल्यों का अवमूल्यन और बढ़ते हुए अपराधों, अनैतिक कार्यों को देखते हुए मूल्य परख शिक्षा की आवश्यकता प्रासंगिक है। इन समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संविधान सहित विभिन्न आयोगों तथा सम्मेलनों ने भी

मूल्य परख शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी आवश्यकता प्रतिपादित की है।

शोध का औचित्य

सम्बंधित साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मूल्योन्मुखता के क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा कई मूलभूत अनुसंधान किये गये हैं। मूल्य की शिक्षा हेतु उद्देश्य निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण व शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जा रहा है। किन्तु कक्षा 6 से 12वीं स्तर की कक्षाओं के हिन्दी भाषा के पाठ्यक्रम में मूल्योन्मुखता का अध्ययन तथा इस स्तर के पाठ्यक्रम में किन–किन मूल्यों को लिया गया है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है तथा इस सम्बन्ध में जन सामान्य में चेतना विकसित करने के लिए निर्मित पाठ्यपुस्तकों में मूल्योंन्मुखता के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, आदि की जानकारी हेतु, प्रस्तुत शोधकार्य सम्पन्न किया गया है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्ततु शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. कक्षा 6ठीं से 12वीं तक की मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में मूल्योन्मुखता का अध्ययन करना ।
2. भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में गद्य एवं पद्य विद्यानुसार मूल्योन्मुख विषयवस्तु का वर्गीकरण करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध की प्रकृति दार्शनिक थी जो पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक पक्ष से संबंधित है। विषयवस्तु विश्लेषण विधि के बिना प्रस्तुत अध्ययन तथा विश्लेषण संभव नहीं था। अतः अध्ययन की प्रकृति अनुसार विषयवस्तु विश्लेषण विधि का चयन किया गया।

विषय वस्तु विश्लेषण विधि के अनुसार चुनि हुई पुस्तकों में से मूल्योन्मुख विषय वस्तु का अध्ययन किया गया तथा पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर गद्य व पद्य के अलग–अलग अध्यायों की पाठ्य सामग्री में अध्याय वार निहित मूल्यों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण एवं कक्षावार विषयवस्तु की व्याख्या

शोधकर्ता ने NCERT द्वारा निर्धारित मूल्य वर्गीकरण तालिका के आधार पर निम्नानुसार विषयवस्तु का विश्लेषण किया–

नैतिक मूल्य – इसके अन्तर्गत त्याग, ईमानदारी, निष्ठा, करूणा, दया, नम्रता, उत्तरदायित्व की भावना आदि मूल्य रखे गये।

सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य – इसके अंतर्गत किसी सामाजिक दायित्व, आदर्श नागरिकता, प्राजातांत्रिक मूल्य और मानववाद, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्य रखे गये।

वैश्विक मूल्य– किसी जाति, समूह या देश विशेष से संबंधित न होकर जिन मूल्यों का संबंध संपूर्ण विश्व की प्रगति अथवा भलाई से होता है वे मूल्य वैश्विक मूल्य के अंतर्गत रखे गये।

वैज्ञानिक मूल्य– ज्ञान के प्रति उत्सुकता, सृजनात्मक सोच, वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, आदि इसके अन्तर्गत रखे गये।

पर्यावरण संबंधी मूल्य –इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, वृक्षरक्षण, पर्यावरण शुद्धि के प्रति चेतना इत्यादि मूल्य लिए गये।

सांस्कृतिक मूल्य –वे मूल्य जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं उसके विकास द्वारा राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता का वातावरण बनाये रखने में सहायक होते है सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत रखे गये।

शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मूल्य– इसके अंतर्गत व्यक्तिक स्वास्थ्य, शक्ति, शीलगुण, ब्रह्मचर्य, सौन्दर्य एवं चुस्ती जैसे गुणों के मूल्यों को रखा गया।

राष्ट्रीय मूल्य– राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्गत अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान, राष्ट्रीयता, आदि भी भावना के विकास के मूल्य रखे गये।

प्रमुखतः नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में अध्ययन करना प्रस्तुत शोध का उद्देश्य था।

कक्षा 6ठीं

कक्षा 6ठीं की पाठ्यपुस्तक की पाठ्यवस्तु छात्रों की उम्र व मानसिक स्तर के अनुरूप है। कक्षा की पाठ्यपुस्तक में कुल 26 पाठ है जिनमें से 18 गद्य पाठ व 6 पद्य पाठ हैं। गद्य पाठों में चार कहानी के हैं जो प्रमुख रूप से नैतिक मूल्यों जैसे दया, ईमानदारी, सेवाभाव, कर्तव्य पालन, सत्य, न्याय, अहिंसा क्षमा, उत्तरदायित्व की भावना, परोपकार, सच्चा चरित्र, मितव्ययता, परिश्रम, आदि जीवन मूल्यों के विकास पर केन्द्रित हैं। निबंध के तीन पाठ है जिनमें स्वास्थ्य मूल्य, नैतिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित मूल्य निहित हैं। अन्य पाठों में महापुरूषों की जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण व रेखाचित्र एकांकी तथा संवाद आदि लेखों में राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, तथा नैतिक मूल्य आदि जीवन मूल्य निहित है। पद्य पाठों में राष्ट्रीय मूल्यों जैसे–देश–प्रेम, राष्ट्रीय भावना, मानव कल्याण की भावना, समाज–सेवा, मानवीय सम्बन्ध, वीरता, साहस, त्याग, बलिदान, तथा प्रकृति के सौन्दर्य वर्णन आदि सौन्दर्यात्क एवं राष्ट्रीय व सामाजिक मूल्य प्रर्याप्त मात्रा में निहित है। पुस्तक की सम्पूर्ण विषय वस्तु में छात्रों के स्तर के अनुरूप नैतिक शिक्षा, मानव मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, पर्याप्त मात्रा में निहित पाये गये।

पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल सुबोध व सहज है। साथ ही दैनिक जीवन के अनुभवों से

जोड़ने का प्रयास भी किया गया है ताकि विद्यार्थी इन्हे रूचि पूर्वक पढ़ सकें ।

कक्षा 7वीं

कक्षा 7वीं के हिन्दी पाठ्यपुस्तक की पाठय सामग्री का चुनाव छात्रों की मानसिक क्षमता व रूचि को ध्यान में रखकर किया गया है। शिक्षा क्रम में सम्मिलित मूल्यों के समावेश का पाठों के चयन में विशेष ध्यान रखा गया है।

पाठय पुस्तक में साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा गद्य विधाओं में कहानी, वर्णनात्मक तथा विचारात्मक निबन्ध, जीवनी, वृतान्त, एकांकी। पद्य में प्रकृति–सौन्दर्य, प्रार्थना, वीर रस, देश–प्रेम, नीति तथा कर्तव्य भावना से परिपूर्ण रचनाएँ दी गई हैं।

प्रत्येक पाठ के अन्त में विस्तृत प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं जिससे छात्रों को पठित वस्तु को समझने, उस पर विचार करने की योग्यता और भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सहायता मिले व क्रियात्मक अभ्यासों की गतिविधियॉ करने से भाषाई दक्षताओं का विकास हो सके। पुस्तक के अन्त में शब्दार्थ भी दिए गए हैं।

भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को होने वाली ज्ञान और आनन्द की प्राप्ति है। अतः प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, तथा सनातन व शश्वत मूल्यों के विकास हेतु विषयवस्तु पर्याप्त मात्रा में ली गई है।

कक्षा 8वीं

कक्षा 8वीं हिन्दी पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में साहित्य की विभिन्न विद्याओं जैसे निबंध, कविता, नाटक, यात्रा वृतांत संस्मरण आदि को सम्मिलित किया गया है। वाक कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, के अन्तर्गत गद्य–पद्य के अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या एवं सारांश लेखन की योग्यता के विकास को ध्यान में रखा गया है ।

पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में राष्ट्रीय भावना, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, स्वाधीनता आंदोलन के प्रेरक प्रसंग, साम्प्रदायिक सद्भावना आदि राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्य, नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति तथा मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना तथा स्त्री –पुरूष में समानता का भाव जैसे नैतिक मूल्योंन्मुख विषयवस्तु निहित है। पर्यावरण रक्षा, स्थानीय परिवेश एवं प्राकृतिक सौन्दर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु विषय सामग्री उपलब्ध है।

अतः निष्कर्षतः कक्षा 8वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु का चुनाव छात्रों की मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता तथा परिपक्वता को ध्यान में रखकर किया गया है। नैतिक मूल्यों के विकास से संबंधित विषयवस्तु पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित है।

कक्षा 9वीं

कक्षा 9वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को चार उपभागों में बॉटा गया है । काव्य भारती, गद्य भारती, एकांकी संकलन तथा कहानी संकलन।

काव्य भारती के अन्तर्गत प्रकृति का सौन्दर्य शीर्षक में पंचवटी, सतपुड़ा के घनें जंगल तथा शरद वर्णन इन कविताओं में प्रकृति के सौन्दर्य का चित्रण कर छात्रों में सौन्दर्यात्मक मूल्यों के विकास हेतु प्रयास किया गया है। ''स्वतंत्रता का दीपक'' और ''झॉसी की रानी की समाधि'' कविताओं में देश प्रेम और वीरता के भाव के जागरण हेतु प्रयास किये गए हैं। मीरा पदावली में आध्यात्मिक एवं भक्ति संबंधी मूल्य समाहित हैं। जीवन–दर्शन के मूल्य ''आदमी का अनुपात'' शीर्षक रचना में निहित है।

गद्य भारती की विषयवस्तु में छात्रों में बोध व्याख्या, तर्क वितर्क, चिन्तन मनन की क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से गद्य की सभी विद्याओं यथा कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, आदि में सामाजिक, नैतिक राष्ट्रीय मानवीय व सभी सनातन मूल्योंन्मुख विषय वस्तु पर्याप्त मात्रा में ली गई है। इस कक्षा की विषय वस्तु प्रमुखता राष्ट्रीय व सामाजिक मूल्योंन्मुखी हैं।

कक्षा 10वीं

कक्षा –10वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तक में काव्य भारती के अन्तर्गत प्रकृति व सौन्दर्यबोध के मूल्यों की एक कविता है 'पर्वत प्रदेश में पावस'। देश प्रेम व वीरता के मूल्यों वाली कविता शौर्य वर्णन और उलाहना लिखित है। इन दोनों कविताओं में राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्र भक्ति, देश प्रेम, त्याग, बलिदान, आदि गुणों की शिक्षा दी गई है । भक्ति व जीवन दर्शन मूल्य से सम्बंधित पाठ 'हम अनिकेतन', 'मिट्टी की महिमा' तथा 'कैकई का अनुपात' में मौजुद है ।

गद्य भारती में 4 निबंध है जिनमें 'मैं मजदूर हूँ', 'फतहपुर सीकरी' एवं 'शनि सबसे सुन्दर ग्रह' आदि शीर्षकों में नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, वैज्ञानिक ज्ञान के मूल्य आदि पर्याप्त मात्रा में निहित है । एकांकी संकलन में 'रीढ़ की हड्डी' कहानी संकलन में 'कोटर और कुटीर' एक नैतिक सामाजिक मूल्य प्रधान कहानी है जिससे नैतिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्यों का विकास होता है । पुस्तक की भाषा सरल, सुबोध व छत्रों के स्तर की अनुरूप है । गद्य की सभी विधाओं को लिया गया है । प्रत्येक पाठ के अन्त में विस्तृत प्रश्न और अभ्यास दिए गए है ।

कक्षा 11वीं

कक्षा 11वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को तीन भागों बॉटा गया है । इनमें से गद्यखण्ड और पद्यखण्ड की विषय वस्तु को प्रस्तुत शोध कार्य में सम्मिलित किया गया है। गद्य खण्ड में चार निबंध व दो कहानियॉ है । निबंध की शैली कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक एवं

भावात्मक है, इन निबंधों में सामाजिक मूल्य और राष्ट्र भक्ति के मूल्य प्रमुख रूप से निहित छात्रों में विचार वर्णन तर्क वितर्क तथा मानवीय भाव संवेदनाओं के विचार वर्णन विषय वैविध्य समाज सुधार का प्रबल आग्रह उन्नत राजनैतिक चेतना, पत्रकारिता के गुण तथा मुक्त हास्य व्यंग्य आदि इन निबंधों की विशेषताएँ है ।

कहानी के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्य तथा सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया है । पद्य खण्ड में छः कविताएँ ली गई है । इन कवितओं से चारों तत्वों भाव, बुद्धि, कल्पना, और शैली के माध्यम से छात्रों में भाव सौन्दर्य, नाद सौन्दर्य, संगीत तत्व, शब्द सौन्दर्य, चित्रात्मकता, विचार सौन्दर्य आदि सौन्दर्यात्मक मूल्यों के साथ–साथ नैतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्योंन्मुख विषयवस्तु पर्याप्त मात्रा में निहित है । कविता के कला पक्ष में लय, तुक, शब्द योजना, भाषा, गुण, अलंकार छंद (व्याकरण गत) तथा प्रकृति सौन्दर्य देश प्रेम तथा वीरता भक्ति वात्सल्य, जीवन–दर्शन, हास्य व्यंग्य, सौन्दर्य और प्रेम, रहस्यानुभूति आदि मूल्य समाहित है । अतः कक्षा 11वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु मूल्योंन्मुख है ।

कक्षा 12वीं

कक्षा 12वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तक कक्षा 11वीं की विशिष्ट हिन्दी का ही द्वितीय भाग है । इसके विषयवस्तु को तीन भागों गद्य, पद्य और सहायक वाचन, में विभाजित किया गया है ।

गद्य खण्ड के कुल छः पाठों में से तीन निबंध क्रमशः क्या लिखूँ ? साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता तथा सच्ची वीरता हैं। इन निबंधों की विषयवस्तु राष्ट्रीय, सामाजिक तथा नैतिक मूल्योन्मुख है। इससे देश–प्रेम, राष्ट्रीयता, साहस, वीरता, त्याग, बलिदान, तथा वसुधैव कुटुम्बंकम की भावना के विकास को बल मिलता है। 'चीनी फेरी वाला' तथा 'भोर का तारा' रेखाचित्र व एकांकी में नैतिक मूल्यों की पर्याप्तता है। 'एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न' व्यंग्य रचना के द्वारा तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा कि स्थिति का यथार्थ वर्णन किया गया है जो वर्तमान व्यवस्था पर भी सत्य लगता है।

पद्य खण्ड में तेरह कविता पाठ हैं। इन कविताओं में प्रमुख रूप से प्रकृति सौन्दर्य, देश–प्रेम वीरता, साहस, शिष्टाचार, जीवन दर्शन मूल्य निहित है ।

परिणाम एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के विश्लेषण एवं व्याख्या से निष्कर्ष निकलता है कि कक्षा 6टी से 12वीं तक की निगम द्वारा निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तक में नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य, पर्यावरण सम्बंधित मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, स्वास्थ्य मूल्य, आदि मूल्यों से सम्बन्धित विषय वस्तु भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में निहित हैं।

1. कक्षा 6 से 12 वीं तक की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में ज्ञानवर्धक विषयवस्तु तथा मूल्योंन्मुख

विषयवस्तु की पर्याप्तता है ।

2. कक्षा 6, 7, व 8वीं की पाठ्यपुस्तकों में नैतिक मूल्योंन्मुख विषय वस्तु अपेक्षाकृत कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं की पाठ्पुस्तकों से अधिक पाई गई।
3. कक्षा 6 से 12वीं तक की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य तथा सौन्दर्यात्मक मूल्योंन्मुख विषय वस्तु की पर्याप्तता है।
4. पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु बोधगम्य है तथा छात्रों के स्तर व बौद्धिक क्षमता के अनुरूप है।
5. जीवन मूल्यों के विकास की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों में गद्य विद्या में रोचक व प्रेरणाप्रद कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों जैसे दया, ईमानदारी, सहानुभूति, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, सेवा भावना, शिष्टाचार, भाईचारा आदि मूल्यों के विकास हेतु विषयवस्तु की पर्याप्तता है।
6. पाठ्यपुस्तकों के गद्य एवं पद्य पाठों में मूल्योंन्मुख विषय समान रूप में उपलब्ध पाई गयी है।
7. गद्य पाठों में प्रमुख रूप से नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्योन्मुख विषयवस्तु अधिक पाई गई।
8. पद्य पाठों में प्रमुख रूप से सौन्दर्यानुभूति के मूल्य, ईश्वर भक्ति, प्रेम, आदि आध्यात्मिक मूल्योन्मुख विषयवस्तु गद्य पाठों सें अधिक पाई गई।

वस्तुतः किसी भी पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु की उपयुक्तता मात्र पुस्तक की गुणात्मकता द्वारा निर्धारित नही होती । यह भी आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तक का सम्प्रेषण कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों के लिए कितना सार्थक एवं प्रभावी है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के परिणाम तथा निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा जैसे साधन को उन्नतिशील बनानें के साथ उसे प्रभावित करने वाले बाधक तत्वों को निर्मूल भी किया जा सकता है ।

पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए

वर्तमान पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में असफल है जिनके कारणों का पता इनके अध्ययन करने से चलता है। इस अध्यन से पाठ्यक्रम निर्माता यह जान सकेगें कि मूल्यों की शिक्षा विद्यार्थियों को कैसे दी जाये। इससे पाठ्यक्रम निर्माता शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम के सुधार हेतु प्रयासरत हो सकेगें ।

वे पाठ्यक्रम में सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनैतिक, एवं दर्शन तथा मनोविज्ञान से संबंधित विषय सामग्री का चयन कर विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के विकास

हेतु नैतिक मूल्योंन्मुख विषयवस्तु को पाठ्यक्रम में समाहित कर सकेगें जिससे विद्यार्थियों के सम्यक विकास की ओर ध्यान दिया जा सकेगा।

नीति निर्माताओं के लिए

नीति निर्माता भारतीय परिवेश के अनुसार शिक्षा विषयक नीतियों के निर्माण के लिए संकल्पित हो सकेगें जिससे शिक्षा रूपी साधन द्वारा विकाससात्मक स्थितियॉ निर्मित की जा सकेगी ।

शिक्षकों के लिए

शिक्षक मूल्यों के प्रति आस्थावान हो सकेगें तथा अपने मूल कर्तव्य का निर्वाह तथा अन्याय का शालीनता से विरोध कर व्यवसायीकरण एवं ट्यूशन वृत्ति की अपेक्षा शिक्षण के प्रति समर्पण भाव रख सकेगें। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सकेगें और राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, स्थितियों से प्रभावित होकर भी पथ भ्रष्ट न होते हुए शिक्षक की मर्यादा अभिवृत्ति तथा प्रतिष्ठा को चिर स्थायी बनाने के लिए दृढता से संकल्पित रह सकेगें ताकि भावी पीढ़ी उन्हे अपना आदर्श मानकर अनुकरण कर सकेगी।

शिक्षा प्रशासकों के लिए

शिक्षा प्रशासक अपने दायित्व, कार्य शैली, जिम्मेदारी, निष्पक्षता को जान सकेगें। शिक्षा प्रशासकों को शिक्षा, शोध संसाधन व पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा का परिचय दे सकेगें जिससे शिक्षा संबंधि सम्पूर्ण गतिविधि सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

भविष्य में शोध हेतु सुझाव

1.माध्यमिक स्तर की सभी पाठ्यपुस्तकों में मूल्योन्मुखता का अध्ययन किया जा सकता है।

2.माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में मूल्योंन्मुखता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

3. राज्य बोर्ड और केन्द्रीय बोर्ड की माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर सभी विषयों में मूल्योंन्मुखता का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. आत्मारामः भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा, आधुनिक प्रकाशन, दिल्ली, 2000।
2. चित्तौड़ा, एस. एवं नरसावत, एच.: पूर्व प्राथमिक शिक्षा सिद्धान्त एवं विधियॉ, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 2000।
3. गुप्त, एन.एल.: मानव मूल्यों की खोज, विश्वभारती प्रकाशन सीताबर्डी, नागपुर, 1987।

4. हुजा, बी.के.ः शिक्षा मूल्य और समाज, यूनाइटिड बुक हाउस, दिल्ली, 1985।
5. मैनी, डी.ः मानवमूल्य–परक शब्दावली का विश्वकोश भारतीय संस्कृति संस्थान चंडीगढ़, सरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2005।
6. रावत, एच.ः समाज शास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन जयपुर, 2002।
7. सोनी, एम.ः पर्यावरण शिक्षण हेतु म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित पुस्तकों का समीक्षात्मक अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. (शिक्षा) लघु शोध प्रबन्ध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2006।
8. सूरती, यू.ः नैतिक शिक्षा और बाल विकास, प्रभात प्रकाशन चावड़ी बाजार, दिल्ली, 1947।
9. शाह, पी.ः शरद जोशी के गद्य साहित्य में निहित शैक्षिक तत्वों का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, दे.अ.वि.वि., इन्दौर, 2001।
10. तोमर, एल.ः नैतिक शिक्षा, विद्याभारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र (हरियाणा), 2001।
11. टिल्लु, मीनाक्षीः म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित मातृभाषा हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों का समीक्षात्मक अध्ययन (कक्षा 1 से 5 के सन्दर्भ में) अप्रकाशित एम. एम. लघु शोध प्रबन्ध दे.अ.वि.वि.इन्दौर 1970।
12. Buch, M.B. (ed): Fifth Survey of Reseasrch in Education, NCERT, New Delhi, 1988-92, Vol - I
13. Vaidya, D.S. (1998): A Study in the Context of Human Values in the Physics Textbook of Standered X in Buch, M.B. (ed.): Fifth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi, 1988-92, Vol II
14. Ambarasu, M. (1992): Value Orientation in English Language Textbook Upper Primary Schools in Buch, M.B. (ed.): Fifth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi, 1988-92, Vol II
15. Kariappa (1992): Value Orientation on Tamil Textbooks in Buch, M.B. (ed.): Fifth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi, 1988-92, Vol II
16. Gandhi, L.K.: Value Education - A Study of Public Opinion, Gyan Publishing House, New Delhi, 1993.
17. Gawande, E.N.: Value Oriented Education - Vision for Better Living, Sarup & Sons New Delhi, 2002.
18. Kar, N.N.: Value Education - A Philosophical Study, the Associated Publishers, Ambala, 1996.

❍❍❍❍❍

शिशु शिक्षा से सम्बन्धित बालगीतों एवं लोरियों का शैक्षिक महत्व– एक शोध अध्ययन

ऊषा कटियार
एस के. सिह

शिशु से सम्बन्धित बाल गीतों एवम् लोरियों का भारतीय संस्कृति में प्रारम्भिक काल से ही योगदान रहा है। बालगीत एव लोरियाँ शिशु के भावुक व संवेदन शील मन की अभिव्यक्ति होती है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में विभिन्न बालगीत अथवा लोरियाँ भारतीय संस्कार के रूप में शिशुओं एवं बालकों को मिलती हैं। ये ही शिशुओं एवं बालकों में मानवीय गुणों का विकास करने में सहायक होती हैं। शिशुओं के विकास में बालगीत एवं लोरियों का महत्वूपर्ण योगदान है। लोरियों एवं बालगीतों का शिशुओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास मे उसी तरह महत्व है, जैसे पौधों के विकास में खाद, पानी एवं प्रकाश का। बालगीतो एवं लोरियों के द्वारा बालक को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, अनुभव, आनन्द आदि की अनुभूति होती है। इससे शिशुओं में भाषायी दक्षताएं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना आदि दक्षताएं विकसित होती हैं। इनके गायन द्वारा बच्चों के स्वर तंत्र की माँस पेशियां भी सुदृढ़ होती हैं। ये बालकों के शब्द कोश एवं ज्ञान कोश को भी समृद्ध करती हैं, साथ ही शिशुओं के मानसिक क्षमता को गति प्रदान करती हैं।

शोध का औचित्य– शिशु शिक्षा से सम्बन्धित बालगीतों एवं लोरियों से सम्बन्धित अनेक अध्ययन हुए हैं, परन्तु उत्तराखण्ड के टिहरी जनपद पर अध्ययन नहीं हुए हैं। इसलिए शोध कर्त्ता ने शिशु से सम्बन्धित बाल गीतों एवं लोरियों का संकलन एवं अध्ययन में उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल जनपद के ग्रामीण एवम् शहरी क्षेत्रों का अध्ययन किया है। यह संकलन शिशु शिक्षा के अध्ययन हेतु एक सार्थक प्रयास है।

शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

- शिशुओं एवं बालकों को सुनाए जाने वाले बालगीतों व लोरियों को सुनकर संकलित करना।
- शिशुओं एवं बालकों को सुनाए जाने वाले बालगीतों व लोरियों की भाषा ज्ञात करना।
- शिशुओं एवं बालकों को सुनाए जाने वाले बालगीतों व लोरियों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।
- बालगीतों एवं लोरियों के लुप्त होने के कारणों की जानकारी संकलित करना।
- बालगीतों एवं लोरियों के संरक्षण हेतु विचार संकलित करना।

शोध की परिकल्पनाएं

- बालगीतों एवं लोरियों का संकलन शिशुओं एवं बालकों के लिए प्रभावी नहीं होगा।
- भाषाओं का बालगीतों एवं लोरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- शिशुओं एवं बालकों को सुनाए जाने वाले बाल गीतों व लोरियों से सम्बन्धित प्रभावों की जानकारी जनमानस को नहीं है।
- बालगीतों एवं लोरियों के लुप्त होने के कोई कारण नहीं हैं।
- बालगीतों व लोरियों का संरक्षण आवश्यक नहीं है।

शोध विधि– शिशु शिक्षा में सम्बधित बालगीतों व लोरियों का शैक्षिक महत्व जानने के लिए सर्वप्रथम टिहरी जनपद के सात शहरीय क्षेत्रों व तीन ग्रामीण क्षेत्रों का यादृच्छिक स्तरित विधि से चयन किया गया। तदुपरांत इन क्षेत्रों के आगंनबाड़ी केन्द्रों, वृद्ध पुरूषों, वृद्ध महिलाओं, पुत्रवधुओं, आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों, स्थानीय अध्यापकों से उक्त सम्बन्ध में चर्चा की गई। वार्ता चर्चा के उपरांत बालगीतों एवं लोरियों को टेपरिकार्ड के माध्यम से संरक्षित एवं संकलित किया गया और उनसे वार्ताचर्चा के आधार पर 31 प्रश्नों वाली प्रश्नावली का र्निमाण किया गया। प्रश्नावली को विषय विशेषज्ञ शिक्षाविदों, समाजकल्याण अधिकारियों के पास प्रस्तुत किया गया, और कहा गया कि जो प्रश्न बालगीतों व लोरियों से सम्बधित हों उनमें सही का चिन्ह लगा दें, जिन्हें उचित न समझतें हो उसे निःसंकोच काट दें। ऐसा विभिन्न वर्गों से 20 विषय विशेषज्ञों का चयन कर पूरा किया गया। तदुपरांत 15 प्रश्नावली अन्तिम रूप से चयनित हुए, इस प्रश्नावली को 43 लोगों से पूरित कराया गया।

शोध अध्ययन का न्यादर्श– प्रस्तुत शोध कार्य के लिए विभिन्न जनपदों का चयन न करके टिहरी जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का चयन यादृच्छिक स्तरित विधि द्वारा किया गया। इन क्षेत्रों से 40 वृद्ध पुरूषों, वृद्ध महिलाओं, पुत्र वधुओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा स्थानीय अध्यापकों का चयन किया गया।

शोध की सीमाएं– शोध अध्येयता ने उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों का चयन न करके गढ़वाल मंडल के टिहरी जिले के सात ग्रामों एवम् तीन शहरी क्षेत्रों का चयन किया।

प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण– शिशु शिक्षा से सम्बन्धित बाल गीतों व लोरियों का संकलन एवं अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण अंकीकरण विधि के माध्यम से किया गया है।

साक्षात्कार सूची से प्राप्त आकड़ों का विवरण– 40 पुरूषों, महिलाओं, पुत्र वधुओं, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, अध्यापकों हेतु साक्षात्कार अनुसूची के बालगीतों एवं लोरियों के संकलन का प्रभाव जानने हेतु वृद्ध पुरूषों, वृद्ध महिलाओं, पुत्र वधुओं, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, अध्यापकों हेतु साक्षात्कार अनुसूची के प्राप्ताकों का विवरण निम्न तालिकाओं में उद्देश्यों के अनुरूप स्पष्ट किया गया है, जिनका की तालिका (3–1 से लेकर 3–5 तक) के उद्देश्यों के अनुपालन में मूल्यांकन की स्पष्ट अंकना की जा रही है।

(तालिका 3–1)

सम्पूर्ण संकलित बालगीत एवं लोरियाँ

1	बालगीत	लोरियाँ	योग
2	24	19	43

(तालिका 3–2)

सम्पूर्ण संकलित बालगीत एवं लोरियाँ

बालगीत	हिन्दी भाषा	गढ़वाली बोली	ब्रज भाषा	योग
	11	07	01	18
लोरियाँ	हिन्दी भाषा	गढ़वाली बोली	ब्रज भाषा	योग
	06	10	02	17

(तालिका 3–3)–(अ)

सम्पूर्ण संकलित बालगीत एवं लोरियाँ

क्र0 स0	आपकी रूचि बालगीतों मे है तो क्यो		आपकी रूचि लोरियों मे है तो क्यों	
1	मन प्रसन्न होता है	14	बच्चा सो जाता है	08
2	प्रकृति, गाणित, शिक्षा, मनोरंजन	03	मातृ भाषा में होने के कारण	09
3	संतोषजनक उत्तर नहीं दिया	01	–	–
	योग	18		17

(तालिका 3–3)–(ब)

क्र.स.	प्रकृति से सम्बन्धित	स्थानीय परिवेश से सम्बन्धित	स्वच्छता से सम्बन्धित	गाणित से सम्बन्धित	शिक्षा से सम्बन्धित	योग
1 – बालगीत	8	2	1	2	5	18
2 – लोरियाँ	प्रकृति से सम्बन्धित	मन एकाग्रता	आराम एवं आनन्द की अनुभूति	ध्वनि की पहचान	स्मरण शक्ति	
	07	01	07	01	01	17

(तालिका 3–3)–(स)

क्र.स.	रोते समय	सोते समय	किसी भी समय	बालक के मन से	दिन के समय	समय मिलने पर	योग
1–बालगीत	01	03	05	02	04	03	18
2–लोरियाँ	02	08	04	–	01	02	17

(तालिका 3–3)–(द)

शिशु एवं बालकों की प्रारम्भिक अवस्था के विकास से बालगीत व लोरियों का सम्बन्ध

क्र.स.	बहुमुखी प्रतिभाओं को उभारने में	विकास में सहायक	संगीत में रूचि	विभिन्न प्रकार की जानकारी	बौद्धिक विकास	भाषा विकास	शारीरिक विकास	अभिव्यक्ति	असंतोष उत्तरजनक दिया	योग
1.	01	03	01	01	03	01	06	01	01	18
2.	–	07	–	02	03	–	02	01	02	17

(तालिका 3 –4)

बालगीतों एवं लोरियों के लुप्त होने के कारणों को जानना

क्र.स.	हाव–भाव के साथ नहीं सुनाते	बच्चों को नहीं सुनाते	भाषा के कारण	टी0वी0 के कारण	समय अभाव के कारण	लुप्त नहीं हैं	असंतोष जनक उत्तर दिया	योग
बालगीत	01	04	02	05	02	02	02	18
लोरियां	–	09	–	03	04	01	–	17

(तालिका 3–5)

बालगीतों एवं लोरियों के संरक्षण हेतु सुझाव

क्र.स.	ये लुप्त नही है	मातृ भाषा का कम प्रयोग	सुनाए जाने चाहिए	संरक्षण संग्रह किया जाए	भाव के साथ सुनाए	असंतोष जनक उत्तर	उत्तर नही दिया	योग
बालगीत	01	02	07	04	02	02	–	18
लोरियाँ	02	–	06	04	03	01	01	17

विश्लेषणः

उक्त तालिकाओं के आधार पर प्राप्त आंकड़ों की तालिका संख्या 01 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 24 बालगीत एवं 19 लोरियाँ संकलित की गई। कुल बालगीत एवं लोरियाँ की संख्या 43 रही।

- शोध अध्ययन के आकड़ों की तालिका संख्या (3–2) से स्पष्ट होता है कि बाल गीतों का प्रयोग लोरियों की तुलना में अधिक है, गढ़वाली बोली की तुलना में हिन्दी भाषा में बाल गीतों का प्रयोग अधिक है।
- गढ़वाली भाषा में लोरियों का प्रयोग हिन्दी भाषा की तुलना में अधिक है।
- शोध अध्ययन के आंकड़ों की तालिका संख्या (3–3) – (अ) से स्पष्ट होता है, कि बालगीतों में बच्चों की रूचि इसलिए है, क्योंकि ये हाव–भाव के साथ सुनाएँ जाते हैं। बालगीतों से बच्चों को गणित, प्रकृति शिक्षा, मनोरंजन सम्बन्धित जानकारियां प्राप्त होती हैं।
- लोरियों में जनमानस की रूचि इसलिए होती हैं क्योंकि ये मातृ भाषा में होती हैं। बच्चों को इनको सुनने से आराम मिलता है। आनन्द की अनुभूति होती है, और बच्चे सो जाते हैं।
- तालिका संख्या (3–3)–(ब) से स्पष्ट होता है, कि इन बालगीतों को सुनकर बच्चा प्रकृति सम्बन्धित, स्थानीय परिवेश से सम्बन्धित, स्वच्छता से सम्बन्धित, गणित, शिक्षा से सम्बन्धित जानकारी को ग्रहण करता है। लोरियों से प्रकृति, मन एकाग्रता, आराम एवं आनन्द की अनुभूति होती है, ध्वनि की पहचान, स्मरण शक्ति इत्यादि का विकास होता है।
- तालिका (3–3)–(स) से स्पष्ट होता है कि बाल गीत, रोते समय, सोते समय, किसी भी समय, बालक के मन से, दिन के समय, समय मिलने पर सुनाए जाते हैं, किन्तु लोरियॉ, सोते समय ही अधिक सुनाई जाती हैं।
- तालिका (3–3)–(द) से स्पष्ट होता है, कि बच्चों की प्रारम्भिक अवस्था के विकास में बालगीत एवं लोरियॉ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा उभारने में, संगीत में रूचि उत्पन्न करने व बौद्धिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास एवं अभिव्यक्ति को भी सशक्त करने में मदद मिलती है।
- तालिका (3–4) के अध्ययन सें स्पष्ट होता है कि बालगीत एवं लोरियॉ को वृद्धपुरूष, वृद्धमहिलाएं, पुत्रवधुएं,

आगंनवाड़ी कार्यकत्रियों, स्थानीय अध्यापक भाव के साथ, स्थानीय भाषा में नहीं सुनाते है, जिसके कारण लोरियों का प्रचलन नहीं हो पा रहा है। बालगीत व लोरियों के लुप्त होने के अन्य कारण है जैसेः– टी.वी. रेडियो का अधिक प्रचलन, विघटित परिवारों के कारण यें लुप्त हो रही हैं।

- तालिका संख्या (3–5) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पुस्तकों में इनका समावेश, ऑडियो विडिया गाने वालो को प्रोत्साहित कर, एवं इनकी रिकोर्डिंग द्वारा इन्हें लुप्त होने से रोका जा सकता है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता का स्पष्टीकरण एवं बिखरे हुए परिणामों को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करने पर निम्न तथ्य एवं निष्कर्ष प्राप्त हुएः

- वृद्धपुरूषों, वृद्धमहिलाओं, पुत्रवधुओं, आगंनवाड़ी, कार्यत्रियों, स्थानीय अध्यापकों के द्वारा 24 बालगीत एवं 19 लोरियॉ का संकल्न किया गया।
- बालगीत का प्रयोग लोरियों की तुलना में अधिक है।
- गढ़वाली बोली की तुलना में हिन्दी भाषा में बालगीतों का प्रयोग अधिक है लेकिन गढ़वाली बोली में लोरियों का प्रयोग हिन्दी की तुलना में अधिक है।
- शिशुओं एवं बालकों को सुनाए जाने वाले बालगीतों में लोगों की रूचि अधिक है। लोरियों में लोगों की रूचि कम है।
- बालगीतों से लोगों का मन प्रसन्न होता है एवं इसके माध्यम से बालकों को विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है।
- बालगीतों व लोरियों के माध्यम से शिशुओं एवं बच्चों को आसपास के परिवेश के संबध में जानकारी प्राप्त होने लगती है, ऋतुओं से संबन्धित जानकारी शिशुओं को प्राप्त होती है, गणितीय ज्ञान प्राप्त होता है।
- लोरियों से शिशुओं एवं बालकों को आनन्द एवं मॉ की थपकी व स्पर्श से सुरक्षा की अनुभूति होती है।
- शिशुओं एवं बालकों को विभिन्न नादात्मक ध्वनि की पहचान होती है।
- बाल गीतों से हाव भाव की जानकारी होती है जिसके कारण वे शिशुओं के आकर्षण का केन्द्र बन जाते हैं।
- शोध अध्ययन से पाया गया कि माता–पिता बालगीत एवं लोरियों को समान रूप से बालकों व शिशुओं को सुनाते हैं।
- बालगीतों एवं लोरियों के माध्यम से शिशु व बालक प्रकृति सम्बन्धित, ध्वनि सम्बन्धित एकाग्रता, नैतिक शिक्षा, स्मरण सम्बन्धित, जानकारी रूचि पूर्ण ढ़ंग से ग्रहण करते हैं।
- आगंनबाड़ी व प्राइमरी स्कूलों में बालगीतों का प्रयोग अधिक होता है लोरियों का प्रयोग कम होता है, किन्तु लोरियों का प्रयोग होना चाहिए।
- अभिभावक बालगीत बच्चों को किसी भी समय एवं लोरियाँ रात्रि एवं सांय काल के समय सुनाते है।
- जनमानस का यह भी मत है कि आंगनबाड़ी में लोरियों का प्रयोग होना चाहिए।

हमारे लेखक

निधि तंवर
4/144, रति तालाई
बांसवारा,
राजस्थान – 327001

रश्मि पंत
ग्राम उर्ग, पो0– जाजरदेवल
जनपद– पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड–262501

शोभा वैद्य
आचार्य एवं पूर्व संकायाध्यक्ष शिक्षा,
शिक्षा अध्ययन शाला दे.अ.वि.वि. इंदौर
म.प्र.
एवं
संतोष एस्के
वरिष्ठ व्याख्याता
उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय
मण्डलेश्वर म.प्र.

ऊषा कटियार
(प्रवक्ता खेल एवं सांस्कृतिक विभाग
(एस.सी.ई.आर.टी.), उत्तराखण्ड,
नरेन्द्रनगर,(टि.ग.)
एवं
डा. एस.के.सिंह
(प्रवक्ता शिक्षक विभाग(एस.सी.ई.आर.टी.),
उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर,(टि.ग.)

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उपाध्यक्ष
श्री सुधीर चटर्जी
श्री ए. एच. खान
डा. एल. राजा
डा. एम. एस. राणावत
सुश्री निशात फारूख

महासचिव
श्री के. सी. चौधरी

कोषाध्यक्ष
डा. मदन सिंह

संयुक्त सचिव
श्री अनोखी लाल भार्गव

सह–सचिव
श्री एस. सी. खण्डेलवाल
डा. पी. ए. रेड्डी
डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी
श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सदस्य
श्री दुर्लभ चेतिया
श्री मृणाल पंत
डा. वी. रेघु
डा. एस. एल. शर्मा
प्रो. के. आर. सुशीले गौडा
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
सुश्री उषा राय